



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 1
16 पौष 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —————
6 जनवरी 2021 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-86	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-विज्ञापन
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
		पुरक
		पुरक-क
		87-87
		88-88

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2020

एस0ओ0 1 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-36/जे0, दिनांक-04.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय प्रकाश सिन्हा अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.01.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जय प्रकाश सिन्हा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना	04.01.2001	बी0ए0 एल0एल0बी0	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-105/92/2146/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

27 मार्च 2020

एस0ओ0 1 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-105/92/2146/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 27th March 2020

S.O. 1 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jai Prakash Sinha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 36/J dated 04.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 04.01.2019.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jai Prakash Sinha	Advocate-cum-Notary Civil Court Patna	04.01.2001	B.A. L.L.B.	Patna Distt.-	

(File no. -A/Not-105/92/2146/J)

By order of the Governor of Bihar]

Balram Mandal,

In charge Joint Secretary (**Competent Authority**).

27 मार्च 2020

एस0ओ0 2 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5692/जे0, दिनांक-30.11.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.11.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जनार्दन प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, जगदीशपुर, भोजपुर	30.11.1996	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र	

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/94/2141/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

27 मार्च 2020

एस0ओ0 2 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/94/2141/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 27th March 2020

S.O. 2 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Janardan Prasad Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5692/J** dated **30.11.1996** to practice as notary again for the next five year from **30.11.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Janardan Prasad Singh	Advocate-cum-Notary Sub-Divisional Civil Court, Jagdishpur, Bhojpur	30.11.96	B.Sc. L.L.B.	Jagdishpur, subdivisional under Bhojpur District	

(File no. -A/Not-07/94/2141/J)

By order of the Governor of Bihar]

Balram Mandal,

In charge Joint Secretary (Competent Authority).

2 जून 2020

एस0ओ0 3 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3352/जे0, दिनांक-24.07.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो० इरफान खान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.07.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मो० इरफान खान	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा	24.07.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	नालंदा (बिहारशरीफ) जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट०(एस०)-33/2001/3142/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

2 जून 2020

एस0ओ0 3 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट०(एस०)-33/2001/3142/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 2nd June 2020

S.O. 3 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Md.Irfan Khan** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-

8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3352/J** dated **24-07-03** to practice as notary again for the next five year from **24-07-2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Md. Irfan Khan	Advocate-cum-Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda.	24-07-03	B.A L.L.B	Nalanda (BiharSharif) Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-33/2001/**3142/J**)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

1 जून 2020

एसओ 4 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3890/जे0, दिनांक-06.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.09.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अनिल कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	06.09.2003	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-40/01/**3166/जे0**)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एसओ 4 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-40/01/**3166/जे0**)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 4 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Anil Kumar Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-

8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3890/J** dated **06.09.03** to practice as notary again for the next five year from **06.09.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Anil Kumar Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	06.09.2003	B.Sc. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-40/01/3166/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

1 जून 2020

एस0ओ0 5 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्रीमती मंजू कुमारी, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय/ व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्रीमती मंजू कुमारी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर	03.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	बक्सर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट0-06/2012/3148/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एस0ओ0 5 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट0-06/2012/3148/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 5 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shrimati Manju Kumari** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law

Department Notification No. **7291/J** dated **03-10-2012** to practice as notary again for the next five year from **03-10-2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shrimati Manju Kumari	Advocate-cum-Notary Civil Court Buxar	03-10-2012	B.Sc. L.L.B	Buxar Distt.-	

(File no. -A/Not-06/2012/3148/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

1 जून 2020

एस0ओ0 6 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1153/जे0, दिनांक-21.03.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनंत कुमार राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.03.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अनंत कुमार राय	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर	21.03.1994	बी0ए0 बी0एल0	रोसड़ा अनुमंडल जिला-समस्तीपुर	

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/92/3167/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एस0ओ0 6 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/92/3167/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 6 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Anant Kumar Ray** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1153/J** dated **21.03.1994** to practice as notary again for the next five year from **21.03.2020**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Anant Kumar Ray	Advocate-cum-Notary Sub-divisional Court, Rosera (Dist-Samastipur)	21.03.1994	B.A. B.L.	Rosera Sub-division Distt.-Samastipur	

(File no. -A/Not-102/92/3167/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).-----
1 जून 2020

एस0ओ0 7 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4742/जे0, दिनांक-24.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.11.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरविन्द कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	24.11.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2000/3175/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एस0ओ0 7 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2000/3175/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।*The 1st June 2020*

S.O. 7 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Arvind Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department

Notification No.4742/J dated- **24-11-2003** to practice as notary again for the next five year from **24.11.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arvind Kumar	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	24-11-2003	B.A L.L.B	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not-109/2000/3175/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

1 जून 2020

एस0ओ0 8 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5565/जे0, दिनांक-17.11.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय नारायण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.11.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जय नारायण सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	17.11.2008	बी0ए0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/04/02/3162/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एस0ओ0 8 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/04/02/3162/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 8 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jay Narayan Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4)

of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5565/J** dated- **17-11-2008** to practice as notary again for the next five year from-**17-11-2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jay Narayan Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	17-11-2018	B.A L.L.B	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)04/02/3162/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

22 मई 2020

एसओ 9 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2847/जे0, दिनांक-19.08.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रताप अरूण कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.08.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रताप अरूण कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, वीरपुर (सुपौल)	19.08.2002	बी0ए0 एल0एल0बी0	वीरपुर अनुमंडल जिला-सुपौल	

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2000./3091/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

22 मई 2020

एसओ 9 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2000./3091/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 22nd May 2020

S.O. 9 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pratap Arun Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law

Department Notification No. **2847/J** dated **19-08-02** to practice as notary again for the next five year from **19-08-2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pratap Arun Kumar	Advocate-cum-Notary Civil Court Birpur (Supaul)	19-08-02	B.A L.L.B	Birpur Subdivision	

(File no. -A/Not83/2000/3091/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

1 जून 2020

एस0ओ0 10 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5149/जे0, दिनांक-23.12.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री रामजी सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.12.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रामजी सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	23.12.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/25/01/3163/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एस0ओ0 10 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/25/01/3163/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 10 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ramji Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department

Notification No. **5149/J** dated- **23-12-2003** to practice as notary again for the next five year from **23-12-2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ramji Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	23-12-2003	B.A L.L.B	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)25/01/3163/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

1 जून 2020

एसओ 11 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3888/जे0, दिनांक-26.08.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री कपिल प्रसाद, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.08.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कपिल प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, टेकारी (गया)	26.08.04	बी0ए0 बी0एल0	टेकारी अनुमंडल जिला गया	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-36/02/3164/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एसओ 11 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-36/02/3164/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 11 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Kapil Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department

Notification No. **3888/J** dated **26-08-04** to practice as notary again for the next five year from **26-08-2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kapil Prasad	Advocate-cum-Notary Subdivisional Court, Tekari	26.08.2004	B.A. B.L.	Tekari Subdivision Distt.-Gaya	

(File no. -A/Not-(S)-36/02/3164/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

23 जनवरी 2020

एस0ओ0 12 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1545/जे0, दिनांक-20.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्याम देव ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.05.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री श्याम देव ठाकुर,	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका	20.05.2003	बी0कॉम0 एल0एल0बी0	बांका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2001/535/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

23 जनवरी 2020

एस0ओ0 12 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2001/535/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 23rd January 2020

S.O. 12 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shyam Deo Thakur** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4)

of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No1545/J dated 20.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.05.2018

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shyam Deo Thakur	Advocate-cum-Notary Civil Court Banka	20.05.2003	B.Com. L.L.B.	Banka Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-03/2001/535/J)

By order of the Governor of Bihar

**Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).**

1 जून 2020

एस0ओ0 13 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-410/जे0, दिनांक-06.02.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.02.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रमोद कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	06.02.04	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-24/01(खंड)/3165/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 जून 2020

एस0ओ0 13 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-24/01(खंड)/3165/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st June 2020

S.O. 13 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pramod Kumar Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4)

of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **410/J** dated **06.02.2004** to practice as notary again for the next five year from **06.02.2019**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pramod Kumar Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	06.02.04	B.Sc. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not(S)24/01(Khand)/3165/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

7 जनवरी 2020

एस0ओ0 14 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4644/जे0, दिनांक-18.10.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ईश्वर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.10.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ईश्वर प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा	18.10.2004	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	नालन्दा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/2002/111/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

7 जनवरी 2020

एस0ओ0 14 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/2002/111/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 7th January 2020

S.O. 14 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ishwar Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4644/J** dated **18.10.2004** to practice as notary again for the next five year from **18.10.2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ishwar Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda	18.10.2004	B.Sc. L.L.B.	Nalanda Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-33/2002/111/J)

By order of the Governor of Bihar,
Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).

3 जनवरी 2020

एसओओ 15 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-250/जे0, दिनांक-12.01.1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.01.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेन्द्र पाण्डेय	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण	12.01.1982	एम0ए0 बी0एल0	बगहा अनुमंडल, प0 चम्पारण जिलान्तर्गत	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/81/15/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

3 जनवरी 2020

एस0ओ0 15 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/81/15/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 3rd January 2020

S.O. 15 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Surendra Pandey** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **250/J** dated **12.01.1982** to practice as notary again for the next five year from **12.01.2020**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Surendra Pandey	Advocate-cum-Notary Sub divisional Civil Court, Bagha, West Champaran	12.01.1982	M.A. B.L.	Bagha Sub divisional under West Champaran District	

(File no. -A/Not-A/A.B.-132/81/15/J)

By order of the Governor of Bihar,

**Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).**

20 फरवरी 2020

एस0ओ0 16 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4143/जे0, दिनांक-10.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका

नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.09.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री संजय प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका	10.09.2004	बी0कॉम0 एल0एल0बी0	बांका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-22/2001/1232/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

20 फरवरी 2020

एस0ओ0 16 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-22/2001/1232/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 20th February 2020

S.O. 16 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sanjay Prasad Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4143/J** dated **10.09.2004** to practice as notary again for the next five year from **10.09.2019**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sanjay Prasad Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Banka	10.09.2004	B.Com L.L.B.	Banka Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-22/2001/1232/J)

By order of the Governor of Bihar,

**Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).**

9 जनवरी 2020

एस0ओ0 17 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना

संख्या-1511/जे0, दिनांक-14.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार मिश्रा अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.05.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अनिल कुमार मिश्रा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बाँका	14.05.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2000/204/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

9 जनवरी 2020

एस0ओ0 17 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2000/204/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 9th January 2020

S.O. 17 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Anil Kumar Mishra** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1511/J** dated **14.05.2003** to practice as notary again for the next five year from **14.05.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Anil Kumar Mishra	Advocate-cum-Notary Civil Court Banka	14.05.2003	B.A. L.L.B.	Banka Distt.-	

(File no. -A/Not-101/2000/204/J)

By order of the Governor of Bihar,

Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).

19 फरवरी 2020

एस0ओ0 18 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11879/जे0, दिनांक-29.10.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.10.16 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर	29.10.1983	बी0ए0 बी0एल0	समस्तीपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-127/83/1200/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

19 फरवरी 2020

एस0ओ0 18 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-127/83/1200/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 19th February 2020

S.O. 18 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Nawal Kishore Pd. Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 11879/J dated 29-10-1983 to practice as notary again for the next five year from 29-10-2016

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Nawal Kishore Pd. Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Samastipur	29.10.1983	B.A. B.L.	Samastipur Distt.-	

(File no. -A/A.B.-127/83/1200/J)

By order of the Governor of Bihar,

Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).

20 फरवरी 2020

एस0ओ0 19 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4337/जे0, दिनांक-23.09.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ई0एन0 फ्रैंक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.09.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ई0एन0 फ्रैंक	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण	23.09.04	एम0ए0 एल0एल0बी0	बगहा अनुमंडल (प0 चम्पारण) जिलान्तर्गत	

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/02/1229/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

20 फरवरी 2020

एस0ओ0 19 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/02/1229/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 20th February 2020

S.O. 19 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri E.N. Frank** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4337/J** dated **23.09.04** to practice as notary again for the next five year from **23.09.2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri E.N. Frank	Advocate-cum-Notary Sub-divisional Civil Court Bagha, W. Champaran	23.09.04	M.A. L.L.B.	Bagha Sub-divisional Distt.- West Champaran	

(File no. -A/Not-11/02/1229/J)

By order of the Governor of Bihar,
Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).

12 जून 2020

एस0ओ0 20 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3007/जे0, दिनांक-25.06.08 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री उपेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.06.18 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री उपेन्द्र प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, शेरघाटी	25.06.08	एम0ए0 एल0एल0बी0	गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2001/3568/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एस0ओ0 20 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2001/3568/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th JUNE 2020

S.O. 20 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Upendra Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-

8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3007/J** dated **25-06-08** to practice as notary again for the next five year from **25-06-18**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Upendra Prasad	Advocate-cum-Notary Subdivisional Court Sherghati	25-06-08	M.A. L.L.B.	Sherghati subdivisional under Gaya District	

(File no. -A/Not(S)-10/2001/**3568/J**)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

23 जनवरी 2020

एस0ओ0 21 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-846/जे0, दिनांक-04.03.1997 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री सरयू प्रसाद सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.03.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सरयू प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद	04.03.1997	बी0ए0 एल0एल0बी0	औरंगाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(भी)-05/07/**534/जे0**)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

23 जनवरी 2020

एस0ओ0 21 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(भी)-05/07/**534/जे0**)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।

The 23rd January 2020

S.O. 21 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Saryoo Prasad Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **846/J** dated **04.03.1997** to practice as notary again for the next five year from **04.03.2020**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Saryoo Prasad Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Aurangabad	04.03.1997	B.A. L.L.B.	Aurangabad Distt.-	

(File no. -A/Not(V)-05/07/534/J)

By order of the Governor of Bihar,

**Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary
(Competent Authority).**

12 जून 2020

एस0ओ0 22 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3728/जे0, दिनांक-26.08.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम अवधेश चौधरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.08.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राम अवधेश चौधरी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर	26.08.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	भोजपुर (आरा) जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-54/2001/3578/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एस0ओ0 22 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-54/2001/3578/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 22 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Awdhesh Chaudhary** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3728/J** dated **26.08.2003** to practice as notary again for the next five year from **26.08.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Awdhesh Chaudhary	Advocate-cum-Notary Civil Court Ara, Bhojpur	26.08.2003	B.A. L.L.B.	Bhojpur (Ara) Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-54/2001 /**3578/J**)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एस0ओ0 23 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1110/जे0, दिनांक-31.03.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री हरिनारायण प्रसाद, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.03.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री हरिनारायण प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा	31.03.2003	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	नालंदा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2001/**3579/जे0**)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एस0ओ0 23 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2001/**3579/जे0**)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 23 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Hari Narayan Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1110/J** dated **31.03.2003** to practice as notary again for the next five year from **31.02.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Hari Narayan Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Biharsharif,	31.03.2003	B.Sc. L.L.B.	Nalanda (Biharsharif) Distt.-	

(File no. -A/Not (S)27/2001/3579/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

3 जून 2020

एसओ 24 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2896/जे0, दिनांक-14.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ईश्वर चन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.06.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ईश्वर चन्द्र सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर	14.06.2004	बी0ए0 एल0एल0बी0	भोजपुर (आरा) जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-90/2002/3266/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

3 जून 2020

एसओ 24 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-90/2002/3266/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 3rd June 2020

S.O. 24 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ishwar Chandra Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2896/J** dated **14.06.04** to practice as notary again for the next five year from **14-06-2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ishwar Chandra Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Bhojpur (Ara)	14.06.04	B.A. L.L.B.	Bhojpur (Ara) Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-90/2002/3266/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

3 जून 2020

एसओ 25 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3718/जे0, दिनांक-18.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री दिलीप कुमार अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.08.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दिलीप कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, हिलसा नालंदा	18.08.2004	बी0ए0 एल0एल0बी0	नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडल	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2002/3267/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

3 जून 2020

एसओ 25 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2002/3267/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 3rd June 2020

S.O. 25 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Dilip Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3718/J** dated **18.08.2004** to practice as notary again for the next five year from **18.08.2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Dilip Kumar	Advocate-cum-Notary Subdivisional Civil Court Hilsa, Nalanda	18.08.2004	B.Sc. L.L.B.	Hilsa Subdivision under Nalada District	

(File no. -A/Not(S)-27/2002/3267/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

2 जून 2020

एस0ओ0 26 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3115/जे0, दिनांक-07.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री ईश्वर चन्द्र, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.07.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ईश्वर चन्द्र	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ	07.07.2004	बी0ए0 एल0एल0बी0	पूर्णियाँ जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2000/3141/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

2 जून 2020

एस0ओ0 26 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2000/3141/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 2nd June 2020

S.O. 26 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ishwar Chandra** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3115/J** dated **07-07-2004** to practice as notary again for the next five year from **07-07-2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ishwar Chandra	Advocate-cum-Notary Civil Court Purnea	07-07-2004	B.A L.L.B	Purnea Distt.-	

(File no. -A/Not-92/2000/3141/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

27 मार्च 2020

एस0ओ0 27 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अशोक कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा	04.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	नालन्दा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-56/2003/2144/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

27 मार्च 2020

एस0ओ0 27 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-56/2003/2144/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 27th March 2020

S.O. 27 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ashok Kumar Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7353/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ashok Kumar Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda	04.10.2012	B.Sc. L.L.B.	Nalanda Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-56/2003 /**2144/J**)

By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary
(Competent Authority).

27 मार्च 2020

एसओ 28 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1392/जे0, दिनांक-02.05.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह**, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02..05.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना	02.05.03	बी0ए0 एल0एल0बी0	पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल	

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2001/2145/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

27 मार्च 2020

एसओ 28 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-08/2001/2145/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 27th March 2020

S.O. 28 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ravi Shekhar Prasad Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1392/J** dated **02.05.03** to practice as notary again for the next five year from **02.05.18**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ravi Shekhar Prasad Singh	Advocate-cum-Notary Sub-divisional Civil Court, Barh, Patna	02.05.03	B.A. L.L.B.	Barh Sub-divisional under Patna District	

(File no. -A/Not-08.2001//2145/J)

By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary
(Competent Authority).

1 अक्टूबर 2020

एसओ 29 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5270/जे०, दिनांक-24.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री शम्भु प्रसाद, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.10.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शम्भु प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार	24.10.2008	बी०एस०सी० एल०एल०बी०	कटिहार जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-08/2003/5535/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 अक्टूबर 2020

एसओ 29 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-08/2003/5535/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st October 2020

S.O. 29 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shambhu Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5270/J** dated **24.10.2008** to practice as notary again for the next five year from **24.10.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shambhu Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Kaihar	24.10.2008	B.Sc. L.L.B.	Katihar Distt.-	

(File no. -A/Not-08/2003/5535/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

27 मार्च 2020

एसओ 30 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे०, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर	03.10.2012	बी०एस०सी० एल०एल०बी०	बक्सर जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-04/2004/2142/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

27 मार्च 2020

एस0ओ0 30 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-04/2004/2142/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 27th March 2020

S.O. 30 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Narendra Bahadur Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7291/J** dated **03.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **03.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Narendra Bahadur Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Buxar	03.10.2012	B.Sc. L.L.B.	Buxar Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-04/2004/2142/J)

By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary
(Competent Authority).

12 जून 2020

एस0ओ0 31 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5361/जे0, दिनांक-23.10.1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री कमलेश प्रसाद, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.10.2016 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कमलेश प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	23.10.1989	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी-54/87/3553/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एसओ 31 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/ए०बी-54/87/3553/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 31 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Kamlesh Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5361/J** dated **23.10.1989** to practice as notary again for the next five year from **23.10.2016**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kamlesh Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Jehanabad	23.10.1989	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no. -A/A.B.-54/87 /3553/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

18 जून 2020

एसओ 32 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7354/जे०, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री भाषानंद प्रसाद अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री भाषानंद प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, खगड़िया	04.10.2012	बी०एस०सी० एल०एल०बी०	खगड़िया जिला	

(सं० सं०-ए०/ए०जे०-29/2012/3703/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

18 जून 2020

एसओ 32 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/ए०जे०-29/2012/3703/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 18th June 2020

S.O. 32 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Bhashanand Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7354/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bhashanand Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Khagaria	04.10.2012	B.Sc. L.L.B.	Khagaria Distt.-	

(File no. -A/A.J.-29/2012/3703/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एसओ 33 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7355/जे०, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर	04.10.2012	बी०एस०सी० एल०एल०बी०	भोजपुर (आरा) जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-03/2002/3567/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एसओ 33 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-03/2002/3567/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 33 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Narendra Pratap Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7355/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Narendra Pratap Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Ara, Bhojpur	04.10.2012	B.Sc. L.L.B.	Bhojpur (Ara) Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-03/2002 /3567/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एसओ 34 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7427/जे०, दिनांक-05.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.17 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरूण कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	05.10.12	बी०ए० एल०एल०बी०	गया जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-45/02/3577/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एस0ओ0 34 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/02/3577/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 34 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Arun Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7427/J dated 05.10.12 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arun Kumar	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	05.10.2012	B.A. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-45/02/3577/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एस0ओ0 35 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-523/जे0, दिनांक-17.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्राण जीवन झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.02.19 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्राण जीवन झा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका	17.02.2004	बी0ए0 एल0एल0बी0	बांका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-38/2001/3576/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एसओ 35 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-38/2001/3576/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 35 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pran Jiwan Jha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **523/J** dated **17.02.2004** to practice as notary again for the next five year from **17.02.2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pran Jiwan Jha	Advocate-cum-Notary Civil Court Banka	17.02.2004	B.A. L.L.B.	Banka Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-38/2001 /3576/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एसओ 36 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3120/जे०, दिनांक-08.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री ओम प्रकाश चौबे, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.07.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ओम प्रकाश चौबे	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, अरेराज, मोतिहारी	08.07.2004	बी०ए० एल०एल०बी०	अरेराज अनुमंडल (पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत)	

(सं० सं०-ए०/नोट-22/2001/3573/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एसओ 36 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-22/2001/3573/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 36 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Om Prakash Chaubey** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3120/J** dated **08.07.2004** to practice as notary again for the next five year from **08.07.2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Om Prakash Chaubey	Advocate-cum-Notary Subdivisional Civil Court Areraj, Motihari	08.07.2004	B.A. L.L.B.	Areraj Sub-divisional Under East Champaran District	

(File no. -A/Not-22/2001/3573/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एसओ 37 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1066/जे०, दिनांक-23.03.96 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्य नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.03.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सत्य नारायण सिन्हा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	23.03.1996	एम०ए० बी०एल०	सीतामढ़ी जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-23/1993/3574/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एस0ओ0 37 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/1993/3574/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 37 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Satya Narain Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1066/J** dated **23.03.96** to practice as notary again for the next five year from **23.03.2019**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Satya Narain Sinha	Advocate-cum-Notary Civil Court Sitamarhi	23.03.1996	M.A. B.L.	Sitamarhi Distt.-	

(File no. -A/Not-23/1993/3574/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एस0ओ0 38 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-710/जे0, दिनांक-09.03.1987 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री कुमार रणविजय सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.03.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कुमार रणविजय सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	09.03.1987	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-8/85 (पार्ट-1)-/3575/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एसओ 38 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/ए०बी०-8/85 (पार्ट-1)-/3575/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 38 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Kumar Ranvijay Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 710/J dated 09.03.1987 to practice as notary again for the next five year from 09.03.2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kumar Ranvijay Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Jehanabad	09.03.1987	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no. -A/A.B.-8/85(Part-I) /3575/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

5 नवम्बर 2020

एसओ 39 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-655/जे०, दिनांक-25.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.02.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अरवल	25.02.2004	बी०ए० एल०एल०बी०	अरवल जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-66/2001/6116/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

5 नवम्बर 2020

एस0ओ0 39 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-66/2001/6116/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 5th November 2020

S.O. 39 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Rajendra Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 655/J dated 25.02.04 to practice as notary again for the next five year from 25.02.2019

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rajendra Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Arwal	25.02.2004	B.A. L.L.B.	Arwal Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-66/2001/6116/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

12 जून 2020

एस0ओ0 40 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2859/जे0, दिनांक-20.08.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अभय कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.08.17 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अभय कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	20.08.02	बी0ए0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2000/3569/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

12 जून 2020

एसओ 40 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-24/2000/3569/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 12th June 2020

S.O. 40 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Abhay Kumar Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2859/J** dated **20.08.02** to practice as notary again for the next five year from **20.08.17**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Abhay Kumar Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	20.08.02	B.A. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not-24/2000/3569/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

5 नवम्बर 2020

एसओ 41 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-566/जे०, दिनांक-19.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.02.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर	19.02.2004	बी०ए० एल०एल०बी०	मुंगेर जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-37/2001/6118/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

5 नवम्बर 2020

एस0ओ0 41 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-37/2001/6118/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 5th November 2020

S.O. 41 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pramod Kumar Sinha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 566/J dated 19.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 19.02.2019

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pramod Kumar Sinha	Advocate-cum-Notary Civil Court Munger	19.02.2004	B.A. L.L.B.	Munger Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-37/2001./6118/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

5 नवम्बर 2020

एस0ओ0 42 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4276/जे0, दिनांक-30.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.09.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद	30.09.2003	एम0ए0 एल0एल0बी0	औरंगाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-34/2001/6117/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

5 नवम्बर 2020

एस0ओ0 42 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-34/2001/6117/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 5th November 2020

S.O. 42 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Rajendra Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4276/J** dated **30.09.2003** to practice as notary again for the next five year from **30.09.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rajendra Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Aurangabad.	30-09-2003	M.A. L.L.B.	Aurangabad Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-34/2001/6117/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 43 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1547/जे0, दिनांक-20.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री पद्माकर कुमार वर्मा, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.05.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री पद्माकर कुमार वर्मा	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, खड़गपुर	20.05.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	खड़गपुर अनुमंडल जिला-मुंगेर	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-07/2001/5697/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

13 अक्टूबर 2020

एसओ 43 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-07/2001/5697/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 13th October 2020

S.O. 43 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Padmakar Kumar Verma** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1547/J** dated **20.05.2003** to practice as notary again for the next five year from **20.05.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Padmakar Kumar Verma	Advocate-cum-Notary S.D.M. Court Kharagpur	20.05.2003	B.A. L.L.B.	Kharagpur Subdivisional Distt.-Munger	

(File no. -A/Not(S)-07/2001/5697/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

22 अक्टूबर 2020

एसओ 44 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे०, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री सियाराम मिश्रा, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सियाराम मिश्रा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर	03.10.2012	बी०एस०सी० एल०एल०बी०	बक्सर जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-08/2004/5961/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

22 अक्टूबर 2020

एसओओ 44 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-08/2004/5961/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 22nd October 2020

S.O. 44 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Siya Ram Mishra** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7291/J** dated **03.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **03.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Siya Ram Mishra	Advocate-cum-Notary Civil Court Buxar	03.10.2012	B.Sc. L.L.B.	Buxar Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-08/2004/5961/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

13 अक्टूबर 2020

एसओओ 45 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2025/जे०, दिनांक-31.05.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्ण किशोर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.05.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कृष्ण किशोर प्रसाद,	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर	31.05.2000	बी०ए० एल०एल०बी०	भागलपुर जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-17/1997/5701/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 45 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/1997/5701/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 13th October 2020

S.O. 45 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Krishna Kishore Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2025/J** dated **31.05.2000** to practice as notary again for the next five year from **31.05.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Krishna Kishore Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Bhagalpur	31.05.2000	B.A. L.L.B.	Bhagalpur Distt.-	

(File no. -A/Not-17/1997/5701/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 46 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7427/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिरुद्ध प्रसाद मालाकार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अनिरुद्ध प्रसाद मालाकार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	05.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-13/2003/5699/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 46 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-13/2003/5699/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 13th October 2020

S.O. 46 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Anirudh Prasad Malakar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7427/J** dated **05.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **05.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Anirudh Prasad Malakar	Advocate-cum-Notary Civil Court Gaya	05.10.2012	B.A. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-13/2003/5699/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 47 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11883/जे0, दिनांक-29.10.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिमूर्ति देव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.10.92 से 28.10.95, 29.10.95 से 28.10.98 तक, 29.10.98 से 28.10.2001 तक, 29.10.2001 से 28.10.2006 तक, 29.10.2006 से 28.10.2011 तक, 29.10.2011 से 28.10.2016 तक तथा दिनांक-29.10.16 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री हरिमूर्ति देव	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर	29.10.1983	बी0ए0 बी0एल0	मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-151/1982/5696/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 47 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-151/1982/5696/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 13th October 2020

S.O. 47 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Hari Murti Dev** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **11883/J** dated **29.10.83** to practice as notary again for the next five year from **29.10.92 to 28.10.95, 29.10.95 to 28.10.98, 29.10.98 to 28.10.2001, 29.10.2001 to 28.10.2006, 29.10.2006 to 28.10.211, 29.10.2011 to 28.10.2016 and 29.10.2016**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Hari Murti Dev	Advocate-cum-Notary Civil Court Jhanjharpur	29-10-1983	B.A. B.L.	Jhanjharpur Subdivision	

(File no. -A/A.B.-151/1982/5696/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 48 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7459/जे0, दिनांक-08.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमाकान्त भगत, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज

पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री उमाकान्त भगत	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा	08.10.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	दरभंगा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2002/5698/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

13 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 48 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2002/5698/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 13th October 2020

S.O. 48 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Umakant Bhagat** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7459/J** dated **08.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **08.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Umakant Bhagat	Advocate-cum-Notary Civil Court Darbhanga	08.10.2012	M.A. L.L.B.	Darbhanga Distt.-	

(File no. -A/Not-25/2002./5698/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

26 जून 2020

एस0ओ0 49 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7182/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सुपौल	26.09.12	एम0ए0 एल0एल0बी0	सुपौल जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2007/3930/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

26 जून 2020

एस0ओ0 49 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2007/3930/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 26th June 2020

S.O. 49 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shailendra Pratap Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7182/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shailendra Pratap Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Supaul	26.09.2012	M.A. L.L.B.	Supaul Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-10/2007/3930/J)

By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary
(Competent Authority).

1 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 50 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3137/जे0, दिनांक-16.07.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री राम सुरेश सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-16.07.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री राम सुरेश सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, मोहनिया, कैमूर	16.07.1994	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	मोहनिया अनुमंडल जिला-कैमूर	

(सं0 सं0-ए0/नोट-84/1992/5551/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

1 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 50 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-84/1992/5551/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 1st October 2020

S.O. 50 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Suresh Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3137/J dated 16.07.1994 to practice as notary again for the next five year from 16.07.2020

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Suresh Singh	Advocate-cum-Notary Sub-divisional Court Mohania	16.07.1994	B.Sc. L.L.B.	Mohania Sub-division Distt.-Kaimur	

(File no. -A/Not-84/1992/5551/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

4 सितम्बर 2020

एस0ओ0 51 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-441/जे0, दिनांक-10.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.02.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विनोद कुमार शर्मा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर	10.02.2004	बी0कॉम एल0एल0बी0	मुंगेर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/2001/4882/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2020

एस0ओ0 51 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/2001/4882/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 4th September 2020

S.O. 51 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Binod Kumae Sharma** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 441/J dated 10.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2019

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Binod Kumar Sharma	Advocate-cum-Notary Civil Court Munger	10.02.2004	B.Com. L.L.B.	Munger Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-47/2001/4882/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

28 अगस्त 2020

एसओ 52 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.17 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री संजय कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	04.10.12	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-21/2006/4753/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

28 अगस्त 2020

एसओ 52 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-21/2006/4753/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 28th August 2020

S.O. 52 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sanjay Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7347/J** dated **04.10.12** to practice as notary again for the next five year from **04.10.17**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sanjay Kumar	Advocate-cum- Notary Civil Court Jehanabad	04.10.12	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-21/2006/4753/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

4 सितम्बर 2020

एसओ 53 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7182/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री राम लखन प्रसाद यादव, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राम लखन प्रसाद यादव	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, निर्मली (सुपौल)	26.09.12	एम0ए0 एल0एल0बी0	सुपौल जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-35/2006/4894/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2020

एसओ 53 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-35/2006/4894/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 4th September 2020

S.O. 53 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Lakhan Pd Yadav** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7182/J dated 26.09.12 to practice as notary again for the next five year from 26.09.17

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Lakhan Pd Yadav	Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court Nirmali	26.09.12	M.A. L.L.B.	Supaul Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-35/2006/4894/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (**Competent Authority**).

4 सितम्बर 2020

एसओ 54 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिवाकर प्रसाद केशरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दिवाकर प्रसाद केशरी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा	04.10.2017	बी0ए0 एल0एल0बी0	नालन्दा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2006/4893/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2020

एसओ 54 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2006/4893/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 4th September 2020

S.O. 54 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Diwakar Prasad Keshari** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353 /J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Diwakar Prasad Keshari	Advocate-cum-Notary Civil Court, Biharsharif, Nalanda	04.10.2012	B.A. L.L.B.	Nalanda Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-10/2006/4893/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

14 सितम्बर 2020

एसओ 55 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3386/जे0, दिनांक-11.09.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा**, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.09.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु० न्यायालय, रोसड़ा	11.09.2000	बी०ए० एल०एल०बी०	रोसड़ा अनुमंडल (जिला- समस्तीपुर)	

(सं० सं०-ए०/नोट-69/1998/5103/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

14 सितम्बर 2020

एसओ 55 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-69/1998/5103/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 14th September 2020

S.O. 55 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Krishnadev Prasad Sinha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3386/J** dated **11.09.2000** to practice as notary again for the next five year from **11.09.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Krishnadev Prasad Sinha	Advocate-cum- Notary Subdivisional Court Rosera	11.09.2000	B.A. L.L.B.	Rosera Subdivisional	

(File no. -A/Not-69/1998/5103/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

4 सितम्बर 2020

एस0ओ0 56 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7426/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जितेन्द्र लाल दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जितेन्द्र लाल दास	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर	05.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	मधुबनी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2010/4895/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2020

एस0ओ0 56 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2010/4895/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 4th September 2020

S.O. 56 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jitendra Lal Das** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7426/J dated 05.10.12 to practice as notary again for the next five year from 05.10.17

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jitendra Lal Das	Advocate-cum-Notary Civil Court Jhanjharpur	05.10.12	B.Sc. L.L.B.	Madhubani Distt.-	

(File no. -A/Not-04/2010/4895/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

28 सितम्बर 2020

एसओ 57 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7293/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती शहनाज नूरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्रीमती शहनाज नूरी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, किशनगंज	03.10.2012	एल0एल0बी0	किशनगंज जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-34/2012/5467/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

28 सितम्बर 2020

एसओ 57 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-34/2012/5467/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 28th September 2020

S.O. 57 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shrimati Sahnaz Nuri** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7293/J dated 03-10-12 to practice as notary again for the next five year from 03-10-2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Smt. Sahnaz Nuri	Advocate-cum-Notary Civil Court Kishanganj	03.10.2012	L.L.B.	Kishanganj Distt.-	

(File no. -A/A.J.-34/2012/5467/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

28 सितम्बर 2020

एसओ 58 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-08/जे0, दिनांक-03.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमेरिका प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.01.2019 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अमेरिका प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय कोर्ट, राजगीर नालंदा	03.01.2001	बी0ए0 एल0एल0बी0	राजगीर अनुमंडल (जिला-नालंदा)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/5466/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

28 सितम्बर 2020

एसओ 58 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/5466/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 28th September 2020

S.O. 58 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Amerika Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 08/J dated 03-01-2001 to practice as notary again for the next five year from 03.01.2019

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Amerika Prasad	Advocate-cum-Notary Sub division Court, Rajgir, Nalanda	03.01.2001	B.A. L.L.B.	Rajgir Subdivision under Distt.-	

(File no. -A/Not-10/97/5466/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

28 सितम्बर 2020

एस0ओ0 59 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3706/जे0, दिनांक-31.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राज कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.07.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री राज कुमार ठाकुर	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ	31.07.2008	बी0कॉम0 एल0एल0बी0	पूर्णियाँ जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-46/2003/5465/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

28 सितम्बर 2020

एस0ओ0 59 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-46/2003/5465/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 28th September 2020

S.O. 59 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Raj Kumar Thakur** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3706/J dated 37-07-2008 to practice as notary again for the next five year from 31-07-2018

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Raj Kumar Thakur	Advocate-cum-Notary Civil Court Purnea	31.07.2008	B.Com. L.L.B.	Purnea Distt.-	

(File no. -A/Not(S)-46/2003/5465/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

24 नवम्बर 2020

एसओ 60 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4181/जे0, दिनांक-12.06.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री अमरनाथ चौबे**, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.06.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अमरनाथ चौबे	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर	12.06.1984	बी0ए0 बी0एल0	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/1982/6404/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

24 नवम्बर 2020

एसओ 60 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/1982/6404/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 24th November 2020

S.O. 60 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Amar Nath Choube** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4181/J dated 12.06.1984 to practice as notary again for the next five year from 12.06.2020

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Amar Nath Choube	Advocate-cum-Notary Civil Court Muzaffarpur	12.06.1984	B.A. B.L.	Muzaffarpur Distt.-	

(File no. - A/A.B.-132/1982/6404/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

17 नवम्बर 2020

एसओ 61 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 रजाउर रहमान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मो0 रजाउर रहमान	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर	03.10.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2002/6296/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

17 नवम्बर 2020

एसओ 61 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2002/6296/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 17th November 2020

S.O. 61 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Md. Razaur Rahman** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Md. Razaur Rahman	Advocate-cum-Notary Civil Court Muzaffarpur	03.10.2012	M.A. L.L.B.	Muzaffarpur Distt.-	

(File no. -A/Not-.12/2002/6296/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

5 नवम्बर 2020

एस0ओ0 62 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11164/जे0, दिनांक-23.09.1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उदय नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.09.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री उदय नारायण सिन्हा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर	23.09.1982	बी0ए0 एल0एल0बी0	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-128/1982/6122/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

5 नवम्बर 2020

एस0ओ0 62 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-128/1982/6122/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 5th November 2020

S.O. 62 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Uday Narain Sinha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **11164/J** dated **23.09.1982** to practice as notary again for the next five year from **23.09.2020**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Uday Narain Sinha	Advocate-cum-Notary Civil Court Muzaffarpur	23.09.1982	B.A. L.L.B.	Muzaffarpur Distt.-	

(File no. -A/A.B.-128/1982/6122/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

8 दिसम्बर 2020

एसओ 63 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3356/जे0, दिनांक-01.06.1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ध्रुव नारायण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.06.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ध्रुव नारायण प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधुबनी	01.06.1988	बी0ए0 बी0एल0	मधुबनी जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-10/1986/6675/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

8 दिसम्बर 2020

एसओ 63 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-10/1986/6675/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 8th December 2020

S.O. 63 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Dhruv Narayan Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3356/J** dated **01.06.1988** to practice as notary again for the next five year from **01.06.2020**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Dhruv Narayan Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Madhubani	01.06.1988	B.A. B.L.	Madhubani Distt.-	

(File no. -A/A.B.-10/1986/6675/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

8 दिसम्बर 2020

एसओ 64 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेन्द्र सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु० न्यायालय, महाराजगंज	28.09.12	बी०ए० एल०एल०बी०	सिवान जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-31/2007/6676/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

8 दिसम्बर 2020

एसओ 64 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-31/2007/6676/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 8th December 2020

S.O. 64 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Surendra Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28-09-12 to practice as notary again for the next five year from 28-09-2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Surendra Singh	Advocate-cum-Notary Sub-divisional Court Maharajganj	28.09.2012	B.A. L.L.B.	Siwan Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-31/07/6676/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

17 दिसम्बर 2020

एस0ओ0 65 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री जय प्रकाश सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जय प्रकाश सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, महाराजगंज	28.09.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सिवान जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-53/07/6867/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

17 दिसम्बर 2020

एस0ओ0 65 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-53/07/6867/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 17th December 2020

S.O. 65 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jay Prakash Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 28.09.2017

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jay Prakash Singh	Advocate-cum-Notary Sub divisional Court Maharajganj	28.09.2012	B.A. L.L.B.	Siwan Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-53/07/6867/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

17 दिसम्बर 2020

एसओ 66 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री ओम प्रकाश अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ओम प्रकाश	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	04.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/07/6868/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

17 दिसम्बर 2020

एसओ 66 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/07/6868/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 17th December 2020

S.O. 66 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Om Prakash** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7347/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Om Prakash	Advocate-cum-Notary Civil Court Jehanabad	04.10.2012	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-39/2007/6868/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (**Competent Authority**).

17 दिसम्बर 2020

एसओ 67 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री हरि शंकर राम, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री हरि शंकर राम	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान	28.09.12	बी0ए0 एल0एल0बी0	सिवान जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/07/6869/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

17 दिसम्बर 2020

एसओ 67 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/07/6869/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 17th December 2020

S.O. 67 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Hari Shankar Ram** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7239/J** dated **28.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **28.09.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Hari Shankar Ram	Advocate-cum-Notary Civil Court Siwan	28-09-2012	B.A. L.L.B.	Siwan Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-33/07/6869/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (**Competent Authority**).

17 दिसम्बर 2020

एसओ 68 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री दिनेश दास, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दिनेश दास	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा	04.10.2012	बी0कॉम एल0एल0बी0	 जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/2003/6870/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

17 दिसम्बर 2020

एसओ 68 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/2003/6870/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 17th December 2020

S.O. 68 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Dinesh Das** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7353/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Dinesh Das	Advocate-cum-Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda	04.10.2017	B.Com. L.L.B.	Nalanda (Biharsharif) Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-39/2003/6870/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

16 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 69 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3516/जे0, दिनांक-24.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम प्रवेश ठाकुर अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.07.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री राम प्रवेश ठाकुर	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद	24.07.2008	एम0ए0 एल0एल0बी0	औरंगाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-12/2004/5860/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

16 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 69 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-12/2004/5860/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 16th October 2020

S.O. 69 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Pravesh Thakur** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3516/J** dated **24.07.2008** to practice as notary again for the next five year from **24.07.2018**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Pravesh Thakur	Advocate-cum-Notary Civil Court Aurangabad	24.07.2008	M.A. L.L.B.	Aurangabad Distt.-	

(File no. -A/Not(D)-12/2004/5860/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

16 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 70 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7182/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोदानन्द झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विनोदानन्द झा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सुपौल	26.09.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	सुपौल जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/2006/5861/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

16 अक्टूबर 2020

एस0ओ0 70 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/2006/5861/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 16th October 2020

S.O. 70 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Binoda Nand Jha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7182/J** dated **26-09-12** to practice as notary again for the next five year from **26.09.2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Binoda Nand Jha	Advocate-cum-Notary Civil Court Supaul	26.09.2012	M.A. L.L.B.	Supaul Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-45/2006/5861/J)

By Order of the Governor of Bihar,
Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).

5 नवम्बर 2020

एसओ 71 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5583/जे0, दिनांक-11.08.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री अनिल बिहारी, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.08.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अनिल बिहारी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर	11.08.1994	बी0ए0 बी0एल0	बक्सर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-80/1991/6119/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

5 नवम्बर 2020

एसओ 71 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-80/1991/6119/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 5th November 2020

S.O. 71 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Anil Bihar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5583/J** dated **11.08.1994** to practice as notary again for the next five year from **11.08.2020**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Anil Bihari	Advocate-cum-Notary Civil Court Buxar	11.08.1994	B.A. B.L.	Buxar Distt.-	

(File no. -A/Not-80/1991/6119/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (**Competent Authority**).

3 जून 2020

एस0ओ0 72 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री अरूण प्रसाद, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरूण प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा	04.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0ए लबी0बी0	नालंदा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)-49/2003/3265/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

3 जून 2020

एस0ओ0 72 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)-49/2003/3265/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।

The 3rd June 2020

S.O. 72 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Arun Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353/J dated **04-10-2012** to practice as notary again for the next five year from **04-10-2017**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arun Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda.	04-10-2012	B.A L.L.B	Nalanda Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-49/2003/3265/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Urmiljeet kaur, Joint Secretary (**Competent Authority**).

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

14 दिसम्बर 2020

सं० बि०वि०सं०-01/2020-642/वि०सं०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 त के तहत वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए सप्तदश बिहार विधान सभा की बिहार विरासत विकास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1. श्री भाई वीरेन्द्र	सं०वि०सं०	सभापति
2. श्री कुमार सर्वजीत	सं०वि०सं०	सदस्य
3. श्री विनय बिहारी	सं०वि०सं०	सदस्य
4. श्री राजेश कुमार	सं०वि०सं०	सदस्य
5. श्री विद्या सागर केशरी	सं०वि०सं०	सदस्य
6. श्री पवन कुमार यादव	सं०वि०सं०	सदस्य
7. श्री मुकेश कुमार रौशन	सं०वि०सं०	सदस्य
8. श्री ऋषि कुमार	सं०वि०सं०	सदस्य
9. श्री अजीत कुमार सिंह	सं०वि०सं०	सदस्य
10. श्री विश्व नाथ राम	सं०वि०सं०	सदस्य

श्री भाई वीरेन्द्र, सं०वि०सं० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।

14 दिसम्बर 2020

सं० आवास-05/20-2404/वि०सं०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विधान सभा की आवास का समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1. श्री शशिभूषण हजारी	सं०वि०सं०	सभापति
2. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	सं०वि०सं०	सदस्य
3. श्री सुधाकर सिंह	सं०वि०सं०	सदस्य
4. श्री राम चन्द्र प्रसाद	सं०वि०सं०	सदस्य
5. श्री विनय कुमार चौधरी	सं०वि०सं०	सदस्य
6. श्री मोहम्मद अनजार नईमी	सं०वि०सं०	सदस्य ।

श्री शशिभूषण हजारी, सं०वि०सं० इस समिति के सभापति तथा बिहार विधान सभा के सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31.03.2021 तक के लिए होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।

14 दिसम्बर 2020

सं० शून्यकाल-14/20-2408/वि०सं०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1.	श्री चन्द्रहास चौपाल	संवि०सं०	सभापति
2.	श्री गुंजेश्वर साह	संवि०सं०	सदस्य
3.	श्री हरिशंकर यादव	संवि०सं०	सदस्य
4.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	संवि०सं०	सदस्य
5.	श्री लखेंद्र कुमार रौशन	संवि०सं०	सदस्य
6.	श्री राजेश कुमार सिंह	संवि०सं०	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार साहनी	संवि०सं०	सदस्य
8.	श्री अरूण कुमार सिंह	संवि०सं०	सदस्य
9.	श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन	संवि०सं०	सदस्य
10.	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	संवि०सं०	सदस्य ।

श्री चन्द्रहास चौपाल, संवि०सं०, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31.03.2021 तक के लिए होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।

14 दिसम्बर 2020

सं० प्रश्न एवं ध्या०सं०-02/2020-1736/वि०सं०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292(क)(1) के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 2020-21 (31 मार्च, 2021 तक) के लिए सप्तदश बिहार विधान सभा की “प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति” का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1.	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	संवि०सं०	सभापति
2.	श्री महबूब आलम	संवि०सं०	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार	संवि०सं०	सदस्य
4.	डॉ० सी० एन० गुप्ता	संवि०सं०	सदस्य
5.	श्री आनन्द शंकर सिंह	संवि०सं०	सदस्य
6.	श्री श्रीकान्त यादव	संवि०सं०	सदस्य
7.	श्री सुनील मणि तिवारी	संवि०सं०	सदस्य
8.	श्री मिश्री लाल यादव	संवि०सं०	सदस्य
9.	श्री मोहम्मद कामरान	संवि०सं०	सदस्य
10.	श्री पंकज कुमार मिश्र	संवि०सं०	सदस्य

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, संवि०सं० इस समिति के सभापति एवं बिहार विधान सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।

14 दिसम्बर 2020

सं० प०उ०सं०सं०-01/2020-648/वि०सं०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 ढ के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1.	श्रीमती अनिता देवी	संवि०सं०	सभापति
2.	श्री अनंत कुमार सिंह	संवि०सं०	सदस्य
3.	श्री सैयद रुकुनुद्दीन अहमद	संवि०सं०	सदस्य

4.	श्री बीरेन्द्र कुमार	संविंसं०	सदस्य
5.	श्री संजय कुमार सिंह	संविंसं०	सदस्य
6.	श्री राजेश कुमार सिंह	संविंसं०	सदस्य
7.	श्री रित लाल राय	संविंसं०	सदस्य
8.	डॉ० संजीव कुमार	संविंसं०	सदस्य
9.	श्री जयन्त राज	संविंसं०	सदस्य
10.	श्री महा नंद सिंह	संविंसं०	सदस्य

श्रीमती अनिता देवी, संविंसं०, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।

10 दिसम्बर 2020

सं० 1स्था०-128/2020-1948/विंसं०।-सभा सचिवालय के पत्रांक-1786, दिनांक 26.11.2020 द्वारा किये गये अनुरोध पर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०-11678, दिनांक 09.12.2020 द्वारा सरकारी पदाधिकारी के श्रेणी में श्री सुनील कुमार तिवारी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-504/19(1051/11) गृह जिला-भोजपुर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना के आप्त सचिव के पद पर दिनांक 25.11.2020 (अपराह्न) के प्रभाव से नियुक्त करने हेतु अगले आदेश तक अथवा माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा सेवा वापस किये जाने तक के लिए उनकी सेवा बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उपलब्ध करायी गयी है।

उपर्युक्त आलोक में श्री सुनील कुमार तिवारी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-504/19(1051/11) गृह जिला-भोजपुर (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना के आप्त सचिव के पद पर दिनांक 25.11.2020 (अपराह्न) के प्रभाव से वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यान्त जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

आदेश से,
असीम कुमार, उप-सचिव।

16 दिसम्बर 2020

सं० प्रश्न एवं ध्या०सं०-02/2020-1758/विंसं०।-सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1736, दिनांक-14.12.2020 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री मदन सहनी, संविंसं० को वर्ष 2020-21 (31 मार्च, 2021 तक) के लिए गठित सप्तदश बिहार विधान सभा की “प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति” का सदस्य मनोनीत किया गया है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2020

सं० 8/आ० (राज० नि०)-1-14/2017-4160—श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर के विरुद्ध METHODIST CHURCH OF INDIA (MCI) से संबंधित केसरे हिन्द जमीन की अवैध विक्री का निबंधन कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता बरतना, एक ही पत्र सं०-1068 दिनांक 28.09.2016 द्वारा दो भिन्न प्रस्ताव समर्पित किया जाना, बीबी जान वक्फ की 12 बीघा जमीन का अवैध निबंधन करना, मार्टिन रेलवे की जमीन का अवैध निबंधन, शमशान घाट के लगभग एक बीघा जमीन का अवैध निबंधन करना, किराया की राशि का भुगतान नहीं करना, अभिलेखागार के अभिलेख छेड़-छाड़ कर जालसाजी तथा गलत कार्य करना एवं

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल आचरण करने आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-319 दिनांक 25.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-91 दिनांक 10.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें आरोप सं0-01, 02, 03, 05, 06, 08 को प्रमाणित तथा आरोप सं0-04 एवं 07 को आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-2089 दिनांक 12.06.19 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।

4. श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक-501 दिनांक 22.11.2019 द्वारा द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया। बचाव वयान में कहा गया है कि दस्तावेजों का निबंधन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में किया गया था। एक पत्र संख्या के द्वारा दो भिन्न प्रस्ताव समर्पित किये जाने को लिपिकीय भूल तथा मार्टिन रेलवे की जमीन को निबंधन के संबंध में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती के कार्य का उदाहरण दिया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में था परन्तु याचिकाकर्ता Alfred Andrews से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के Power of Attorney के आधार पर निष्पादित दस्तावेजों का निबंधन आरोपी पदाधिकारी द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ता और दस्तावेज के निष्पादक के बीच संबंध को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने में आरोपी पदाधिकारी विफल रहें हैं। किसी प्रकार के पत्र को हस्ताक्षरित करने के पूर्व विषयवस्तु को परखना हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है।

विषयवस्तु में हेर फेर को लिपिकीय भूल कहना उचित नहीं है। पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा की गई चूक को उदाहरण बनाना सर्वथा अनुचित है। आरोपी पदाधिकारी ने तार्किक एवं साक्ष्य आधारित कथन प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव आरोपी पदाधिकारी के बचाव वयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त बचाव वयान का समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने का विभागीय निर्णय लिया गया तथा विभागीय पत्रांक-2688 दिनांक 03.09.20 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी।

6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1679 दिनांक 07.10.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.10.2020 की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम -14 (ix) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड के विभागीय निर्णय पर विचार हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.12.2020 को मद संख्या-11 के रूप में विभागीय प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड तत्कालिक प्रभाव से अधिरोपित किया जाता है। इसके साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

22 दिसम्बर 2020

सं0 8/आ0-(राज0 उ0)-2-15/2020-4152—श्री नितीन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, अरवल को बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3427 दिनांक-24.10.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/ECI/LET/EEM/EEPS/2020 दिनांक-02.12.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री नितीन कुमार तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, अरवल सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

22 दिसम्बर 2020

सं0 8/आ0-(राज0 उ0)-2-15/2020-4153—श्री विपीन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, शेखपुरा को बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3428 दिनांक-24.10.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/ECI/LET/EEM/EEPS/2020 दिनांक-02.12.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री विपीन कुमार तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, शेखपुरा सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

28 दिसम्बर 2020

सं० 8/आ० (राज० नि०)-1-09/2020-4214—श्री गिरिश चन्द्र, जिला अवर निबंधक, सीतामढ़ी के विरुद्ध सी०डब्ल्यू०जे०सी०नं०-11534/2011 अर्जुन पंडित बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.07.2015 को पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित कारण पृच्छा उक्त वाद से उद्भूत एम०जे०सी०नं०-496/2016 में पूरक कारण पृच्छा दायर करने की ससमय कार्यवाई नहीं की गयी, फलतः उक्त अवमाननावाद में निबंधन महानिरीक्षक, बिहार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उपस्थित होने के कारण श्री चन्द्र के कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के आरोप में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-2042 दिनांक 26.06.2020 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. श्री चन्द्र ने अपने पत्रांक-1325 दिनांक 08.09.2020 द्वारा आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन विभाग में समर्पित किया गया। उनके द्वारा बचाव वयान में उल्लिखित किया गया कि जिला अवर निबंधक के रूप में पहला पदस्थापन होने, विधिक ज्ञान एवं अनुभव नहीं होने के कारण पूरक कारण-पृच्छा ससमय दायर नहीं किया जा सका है। जिला अवर निबंधक का यह दायित्व है कि कार्यालय से संबंधित वादों का अनुश्रवण एवं त्वरित कार्यवाई की जाय, अतएव श्री सिंह से प्राप्त बचाव वयान स्वीकार योग्य नहीं है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-8237 दिनांक 06.07.2017 के अनुसार यदि आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हो और लघु शास्तियों अधिरोपित किये जाने योग्य हो तो, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आरोप प्रकरण का अंतिम निष्पादन किया जाय।

4. अतएव श्री चन्द्र से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (प) के तहत निन्दन की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

18 दिसम्बर 2020

सं० 01/रा.स्था.अंके.स्थाना.-51/2020 सह. /3137—श्री कृष्णकान्त शर्मा, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, मगध एवं पटना प्रमण्डल, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास, सासाराम एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कैमुर, भभुआ का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

16 अक्टूबर 2020

सं० 8/नि.को. (रा.)विभागीय-717/2017-2684—श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन जिला अंके० पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर को सृजन महिला विकास, सहयोग समिति लि०, साबौर भागलपुर के अंकेक्षण कार्य में पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-3463 दिनांक- 12.10.2018 से निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3470 दिनांक 15.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस संदर्भ में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है, जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन जिला अंके० पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है:-

(i) निन्दन (पदस्थापन अवधि 14.07.2014 से 14.01.2017)

(ii) श्री कुमार को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा

(2) श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री कुमार राजपत्रित स्थापना शाखा (प्रशाखा-01), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्यवाई की जायेगी।

(3) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

16 अक्टूबर 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-716/2017-2685—श्री अरविन्द कुमार अजय, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को सृजन महिला विकास, सहयोग समिति लि., सबौर भागलपुर के अंकेक्षण कार्य में पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अनुशासनहीनता के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-2512 दिनांक-27.07.2018 से निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2519 दिनांक-27.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-574 दिनांक-31.01.2019 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही के साथ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में 1996 से 2017 तक के सभी निवेशों का विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के आरोपों के लिए पूरक आरोप पत्र गठित कर श्री अजय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जिसमें श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-339 दिनांक-16.03.2020 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अजय से विभागीय पत्रांक-1697 दिनांक-09.06.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री अजय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रतियुत्तर की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अजय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रतियुत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित है। जिसके लिए वे दोषी है। अतः प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अरविन्द कुमार अजय, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(प) के तहत निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन

(ii) श्री अजय को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा

(2) श्री अजय को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री अजय राजपत्रित स्थापना शाखा (प्रशाखा-01), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्यवाई की जायेगी। (3) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

18 नवम्बर 2020

सं० 1/पी-2001/2018(खण्ड-II)-सा0प्र0-10993—श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0 (97), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड(बेल्ट्रॉन)} अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-2001/2018(खण्ड-II)-सा0प्र0-10994—श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (2007), उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिबरेज कॉरपोरेशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

26 नवम्बर 2020

सं० 1/अ0-1006/2017-सा0प्र0-11253—श्री अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0 (टी आर: 2006), जिला पदाधिकारी, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-28.11.2020 से 11.12.2020 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अभिषेक सिंह की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद—जिला पदाधिकारी, गया के प्रभार में श्री सुमन कुमार, बि०प्र०से०, उप विकास आयुक्त, गया रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

26 नवम्बर 2020

सं० 1/अ०-1014/2014—सा०प्र०-11259—श्री रॉबर्ट एल० चोंगथू, भा०प्र०से०(97), आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.11.2020 से 10.12.2020 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री रॉबर्ट एल० चोंगथू की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद—आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के प्रभार में श्री पंकज कुमार, भा०प्र०से०(97), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

26 नवम्बर 2020

सं० 1/अ०-03/2010—सा०प्र०-11260—श्री गोपाल मीणा, भा०प्र०से०(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.11.2020 से 11.12.2020 तक कुल 25 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

1 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-1002/2016—सा०प्र०-11319—श्री आनंद शर्मा, भा०प्र०से० (2013), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार— संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.10.2020 से 06.11.2020 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

2 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-422/2007—सा०प्र०-11360—श्री बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०(2005), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-01.12.2020 से 31.12.2020 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

5 दिसम्बर 2020

सं० 1/पी०-1001/2020—सा०प्र०-11522—श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा०प्र०से०(2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के बीमार हो जाने के कारण श्री विनय कुमार, भा०प्र०से०(99) —सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, पटना/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना), श्रीमती प्रेयषी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि तक के लिए सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

7 दिसम्बर 2020

सं० 1/पी०-1001/2020(खण्ड)—सा०प्र०-11600—श्री सुधीर कुमार, भा०प्र०से०(87), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2020(खण्ड)—सा०प्र०-11601—श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०(89), अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मेहरोत्रा, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

3. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(91) – (प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11602—श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(90), राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11603—श्री संजीव हंस, भा0प्र0से0 (97), सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना[अतिरिक्त प्रभार-सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना] को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री हंस, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11604—श्री रॉबर्ट एल0 चोंगथू, भा0प्र0से0 (97), आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11605—श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(97), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11606—श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2003), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना[अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव(संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना] को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह, सचिव(संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11607—श्री राजेश मीणा, भा0प्र0से0 (2012) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियों, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।**

8 दिसम्बर 2020

सं0 1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-11645—सुश्री प्रतिभा रानी, भा0प्र0से0(2018), अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.12.2020 से 27.12.2020 तक कुल 24 दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री रानी की संदर्भित छुट्टी-अवधि के लिए प्रभार की व्यवस्था, जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा की जायेगी।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।**

9 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1002/2019-सा0 प्र0-11681—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान(संयुक्त सचिव स्तर) (वेतनमान-लेवल-11-₹ 67,700-2,08,700/-) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री सज्जन आर(2015)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गोपालगंज	30.10.2019
2	सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी (2015)	नगर आयुक्त, भागलपुर	26.10.2019
3	श्री अंशुल अग्रवाल(2016)	नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ	01.01.2020
4	श्री रिची पाण्डेय(2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् (अतिरिक्त प्रभार -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्रा प्राधिकार, पटना)	01.01.2020
5	श्री रवि प्रकाश(2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बाँका	01.01.2020
6	सुश्री वर्षा सिंह (2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार	01.01.2020
7	श्री मुकुल कुमार गुप्ता(2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद	01.01.2020

8	श्री अंशुल कुमार(2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद	01.01.2020
9	श्री वैभव चौधरी (2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा	01.01.2020
10	श्री विजय प्रकाश मीणा (2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर	01.01.2020

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

10 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-1007/2017-सा०प्र०-11771—श्री संजय सिन्हा, भा०प्र०से० (2008), निदेशक, छात्रा एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक- 28.07.2020 से 17.09.2020 तक कुल 52 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

10 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-1002/2017-सा०प्र०-11772—श्री राधेश्याम साह, भा०प्र०से० (2006), विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक- 12.10.2020 से 01.11.2020 तक कुल 21 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

10 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-1014/2015-सा०प्र०-11773—श्रीमती शैलजा शर्मा, भा०प्र०से० (2013), संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18 (डी)(1) के तहत दिनांक-31.07.2020 से 30.09.2020 तक कुल-62 दिनों के शिशु पोषण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

13 दिसम्बर 2020

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11838—श्री के० सेंथिल कुमार, भा०प्र०से० (1996), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्रीमती सफीना ए०एन०, भा०प्र०से०(97)-(प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया), प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगी।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11839—श्री बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से० (2005), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बालामुरुगन डी०, अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना और विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11840—श्री गोपाल मीणा, भा०प्र०से०(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11841—श्री संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11842—श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा०प्र०से० (2007), उत्पाद आयुक्त—सह—निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिबरेज कॉरपोरेशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11843—श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा०प्र०से० (2007), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11844—श्री बी० कार्तिकेय धनजी, भा०प्र०से० (2008), निदेशक, पशुपालन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त—सह—निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री धनजी अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिबरेज कॉरपोरेशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा०प्र०-11845—सुश्री रंजिता, भा०प्र०से० (2013), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सुश्री रंजिता अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

14 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-1017/2014(खण्ड)-सा०प्र०-11926—सुश्री रंजिता, भा०प्र०से० (2013), तदेन अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-14.12.2020 से 01.01.2021 तक कुल 19 दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

14 दिसम्बर 2020

सं० 1/मु०-1004/2017-सा०प्र०-11927—विशेष अनुमति याचिका संख्या-23959/2017 (अंजनी कुमार वर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-12.10.2020 को दिये गये निदेश के आलोक में श्री अंजनी कुमार वर्मा, भा०प्र०से० (1995) —सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2011) को उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी—श्री दया शंकर पाण्डेय, भा०प्र०से० (1995) को अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से अधिसमय वेतनमान की वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

15 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-1010/2020-सा०प्र०-11961—श्री अनिल कुमार, भा०प्र०से० (2017), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, लखीसराय को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-12, 13 एवं 20 के अधीन दिनांक 07.09.2020 से दिनांक-06.10.2020 तक कुल 30 दिनों के रूपांतरित अवकाश (60 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की कार्योपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

15 दिसम्बर 2020

सं० 1/सी०-1005/2017-सा०प्र०-11993—कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या -13017/17/2017—ए आई एस—I दिनांक-15.12.2020 से डॉ० जितेन्द्र गुप्ता, भा०प्र०से० (बिहार : 2013) की सेवाएँ अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के तहत उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या अगले आदेश (जो पहले हो) तक के लिए नागालैण्ड संवर्ग को सौंपी गई है।

2. उपर्युक्त अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आलोक में डॉ० जितेन्द्र गुप्ता, भा०प्र०से० (बिहार : 2013) को 'नागालैण्ड' संवर्ग में योगदान देने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

17 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-14/2012(खंड)-सा०प्र०-12110—श्री अतुल प्रसाद, भा०प्र०से०(87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या- 11512 दिनांक- 04.12.2020 द्वारा दिनांक 02-03 जनवरी, 2021 का सार्वजनिक अवकाश छुट्टी के अंत में जोड़ने की अनुमति के साथ दिनांक 17.12.2020 से 01.01.2021 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री अतुल प्रसाद से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 11512 दिनांक 04.12.2020 द्वारा दिनांक 17.12.2020 से 01.01.2021 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 22.12.2020 से 01.01.2021 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

17 दिसम्बर 2020

सं० 1/अ०-422/2007-सा०प्र०-12112—श्री बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०(2005), तदेन अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह- आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या- 11360 दिनांक- 02.12.2020 द्वारा दिनांक 01.12.2020 से 31.12.2020 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री बालामुरुगन डी० से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 11360 दिनांक 02.12.2020 द्वारा दिनांक 01.12.2020 से 31.12.2020 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 05.12.2020 से 31.12.2020 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

24 दिसम्बर 2020

सं० सिं०को०-01/2001 पार्ट-IV-405—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रब्बी सिंचाई 2020-21 के दौरान नहरों का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः इन नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आगामी रब्बी सिंचाई 2020-21 की अवधि में इनमें जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,
अरुण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

24 दिसम्बर 2020

सं० सिं०को०-01/2001 पार्ट-IV-406—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2020-21 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2020-21 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,
अरुण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36-571+25-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 7---I, GIRJA Mistri, S/o- Late Ravi Mistri, At- Gidhaur, Dist- Jamui, Bihar, Pin-811305. I have been knowing by Girja Mistri and Girja Vishwakarma and now I will be known by Girja Vishwakarma vide Affidavit No. 6195 dated 06.11.2020.

GIRJA Mistri.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 27/आरोप-01-108/2019-सा०प्र०-11891
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

14 दिसम्बर 2020

मो० शाकिर जमाल, सेवानिवृत्त बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 234/2011, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा के पदस्थापन अवधि में दिनांक-21.03.2011 से 25.03.2011 तक आकस्मिक छुट्टी का आवेदन देकर दिनांक-18.03.2011 को मुख्यालय से बाहर चले गये। दिनांक-04.04.2011 को फ़ैक्स के माध्यम से दिनांक-16.04.2011 तक छुट्टी बढ़ाने का आवेदन भेजा, जो जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-670 दिनांक-05.05.2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद भी मो० जमाल कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण सरकारी कार्य बाधित हुआ, संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

मो० जमाल के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत आरोपों की बृहद् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9599 दिनांक 25.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उल्लेखनीय है कि मो० जमाल दिनांक 31.05.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः मो० शाकिर जमाल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 234/2011, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरांत दिनांक-01.06.2017 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>